सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 13/2018 (2018/00020)

Web Copy - Not Official

<u>वादीगण</u>

1. भुवानाराम पुत्र लादूराम उम्र 48
2. नानूराम पुत्र लादूराम उम्र 56 जाति जाट निवासियान ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी सिटी जिला नागौर।

<u>बनाम</u>

<u>प्रतिवादीगण</u>

1. सुण्डाराम पुत्र लादूराम
2. सुखाराम पुत्र लादूराम
3. देवाराम पुत्र लादूराम
   जाति समस्त जाट निवासियान ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी सिटी जिला नागौर।
4. हीराराम पुत्र कुनणाराम
5. बक्षाराम पुत्र कुनणाराम
6. चेनाराम पुत्र कुनणाराम
7. मगनाराम पुत्र हरजीराम
8. बोदूराम पुत्र हरजीराम
9. उमाराम पुत्र हरजीराम
   जाति समस्त जाट निवासियान ग्राम सिडियास तहसील कुचामनसिटी सिटी जिला नागौर।
10. भंवरलाल पुत्र हेमाराम
11. धनाराम पुत्र हेमाराम
12. रेखा पुत्री नन्दाराम
13. पूजा पुत्री नन्दाराम
14. किशनी पत्नी नन्दाराम
15. हनुमानराम पुत्र हेमाराम
16. कुम्भाराम दत्तक पुत्र मांगूराम
17. रूघाराम पुत्र चूनाराम
18. मोहनराम पुत्र चूनाराम
19. बिरमाराम पुत्र चूनाराम
20. राजूराम पुत्र चूनाराम
21. रूपाराम पुत्र चूनाराम
    जाति समस्त जाट निवासियान ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी सिटी जिला नागौर।
22. दानाराम पुत्र श्योराम
23. मूलाराम पुत्र श्योराम

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

24. बोदूराम पुत्र श्योराम
25. गोपालराम पुत्र श्योराम
26. मोहनी देवी पत्नी श्योराम
27. सोहनी देवी पुत्री श्योराम
28. मीरा देवी पुत्री श्योराम

जाति समस्त जाट निवासियान ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी सिटी जिला नागौर।

29. नन्दाराम पुत्र जीवणराम
30. गोरधन राम पुत्र जीवणराम
31. हणमान पुत्र जीवणराम
32. मदनी देवी पुत्री जीवणराम
33. कमला देवी पुत्री जीवणराम
34. मैनेजर यूको बैंक शाखा कुचामनसिटी
35. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी(भूमिधारी)

वाद वास्ते इस्तकरार हक व भू–विभाजन बाबत
अन्तर्गत धारा 88,53 राज. का. अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री प्रभुराम गुर्जर, श्री पुष्पेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांकः

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकुलाय उपस्थित। वकुलाय ने बहस सुनाते हुये कथन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है। निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 7 एवं राजीनामा दिनांक 13.07.2017 को पेश किया जा चुका है जरिये राजीनामा माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री सादिर फरमाई जावें।

पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 19.04.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम (मौका रिपोर्ट) मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक भू.अ./2018/1319 दिनांक 06.06.2018 के द्वारा बंटवारा स्कीम तैयार कर भिजवाई, शामिल मिसल है। वकुलाय ने बहस सुनाई, बहस सुनाते हुये कथन किया कि प्रत्रावली में तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा के अंतिम डिक्री आदेश फरमावें।

वकुलाय की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.04.2018, प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 7 मय राजीनामा, संलग्न मौका बंटवारा स्कीम का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय का मत है कि वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाये जाने से निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी में स्थित कृषि भूमि खसरा न0 270 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 271 रकबा 1.63 है0 कुल रकबा 1.65 है0 का भुवानाराम, नानूराम पुत्र लादूराम को व खसरा नं0 262 रकबा 0.88 है0 में से 0.3567 है0 का कुम्भाराम दत्तक पुत्र मांगूराम को

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

व 0.3566 है0 का मगनाराम, बोदूराम, उमाराम पि0 हरजीराम को खसरा नं0 261 रकबा 0.19 है0 सम्पूर्ण एवं खसरा नं0 262 का शेष बचा रकबा 0.1667 है0 भंवरलाल, धन्नाराम, हनुमानराम पि0 हेमाराम रेखा, पूजा पुत्रियां नन्दाराम किशनी पत्नी नन्दाराम को बहिस्सा बराबर का व खसरा नं0 269 रकबा 0.38 है0 का हीराराम, बक्षाराम, चेनाराम पि0 कुनणाराम बहिस्सा बराबर का व खसरा नं0 272 रकबा 0.9650 है0, खसरा नं0 273 रकबा 0.03 है0 का रूधाराम, मोहनराम, बिरमाराम, राजूराम, रूपाराम पि0 चूनाराम को 1/3 हिस्सा दानाराम, मूलाराम, बोदूराम, गोपालराम पि0 श्योराम मोहनी देवी, सोहनी देवी, मीरा देवी पुत्रियां श्योराम को 1/3 हिस्सा नंदाराम, गोरधन, हणमान पि0 जीवणराम मदनी देवी, कमलादेवी पुत्रियां जीवणराम जाति जाट को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नं0 271 का शेष बचा रकबा 0.0200 है0 व खसरा नं0 272 का शेष बचा रकबा 0.0250 है0 वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 33 के रास्ता हेतु कुल रकबा 0.0450 है0 रास्ता कटाणी घोषित किया जाता है। मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल किया जावें। बंटवारा स्टाम्प ड्युटी प्राप्त होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 17/7/18 को टंकण कराकर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरत किया गया

(सुमनसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)